वैधिक नैतिकता एवं चिकित्सक की ज़िम्मेदारी

अलीगढ में 22-24 अक्टूबर 1995 ई0 को आयोजित आठवें सेमिनार में चिकित्सा से जुडे नैतिक मूल्यों और इलाज करनेवालों के कर्तव्यों (Medical Ethics & Duties of Doctors) के सम्बन्ध में शरीअत के आधार पर निम्न राय दी गयी।

1- (अ) इलाज करने का हक़ केवल उसे ही हासिल है जो इस पेशे का ज्ञान रखता हो, और व्यवहारिक अनुभव उसे प्राप्त हो, उसके ज्ञान और अनुभव का प्रमाणपत्र किसी प्रमाणित और विश्वसनीय संस्था या माध्यम से मिला हो। सही ज्ञान और अनुभव के बिना इलाज करना शरीअत की नज़र में जाइज़ नहीं है।

(ब) जिस आदमी को इलाज करने की शरई या क़ानूनी इजाज़त नहीं है अगर उसके इलाज से किसी मरीज़ को नुक़सान पहुंचा तो उसके ऊपर जुर्माना लागू होगा।

2- अगर किसी प्रमाणित चिकित्सक ने इलाज में कोई कोताही की और उसकी वजह से मरीज़ को नुक़सान पहुंचा तो चिकित्सक उसका ज़िम्मेदार होगा।

3- चिकित्सक अगर मरीज़ या उसके अभिभावकों की इजाज़त के बग़ैर किसी मरीज़ का आपरेशन कर दे और आपरेशन से मरीज़ को नुक़सान पहुंचे तो चिकित्सक पर इसकी ज़िम्मेदारी लागू होगी। (लेकिन यह उस स्थिति में होगा जब मरीज़ या उसके परिजनों की इजाज़त लेने का मौक़ा हासिल हो।)

4- अगर मरीज़ बेहोश है और उसका कोई परिजन या अभिभावक मौजूद नहीं है, और डाक्टर के विचार में तुरन्त आपरेशन ज़रूरी है तो इजाज़त के बग़ैर आपरेशन करने में अगर मरीज़ को कोई नुक़सान पहुंचा तो डाक्टर पर इसकी ज़िम्मेदारी नहीं डाली जाएगी।

5- अगर किसी आदमी ने निकाह का पैग़ाम दिया हुआ है और उसे ऐसी बीमारी है जिसके पता चलने के बाद सम्बन्धित औरत उससे निकाह पर राज़ी नहीं होगी डाक्टर तो को उक्त व्यक्ति की बीमारी या ऐब (नुक्स) की जानकारी है, इस स्थिति में डाक्टर के लिए यह ज़रूरी है कि औरत या उसके रिश्तेदारों के पूछने पर वह उन्हें सही हालात से अवगत करादे लेकिन सम्बन्धित औरत या उसके परिजनों ने अगर खुद डाक्टर से इसके लिए सम्पर्क न किया हो तो डाक्टर की यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह अपने मरीज़ की बीमारी उससे शादी करनेवाली औरत या उसके रिश्तेदारों को बताए।

6- किसी ड्राइवर की आंखों की रोशनी प्रभावित होने पर उसका इलाज करने वाले डाक्टर की यह ज़िम्मेदारी है कि वह उससे सम्बन्धित विभाग (गाडी के मालिक) को इसकी ख़बर कर दे। इसी तरह हवाई जहाज़ का पायलट या ट्रेन व बस का ड्राइवर अगर नशे का आदी है और उससे मुसाफ़िरों की जान को ख़तरा

हो तो डाक्टर के लिए यह ज़रूरी है कि सम्बन्धित विभाग को इस बारे में सूचित करे।

7- अगर डाक्टर को अपने किसी मरीज़ के जुर्म की जानकारी हो और उस जुर्म में कोई बेगुनाह पकड़ में आ रहा हो उस बेगुनाह को बचाने के लिए डाक्टर को अपने मरीज़ का भेद खोलना ज़रूरी है, राज़दारी गोपनीयता से काम लेना उसके लिए जाइज़ नहीं होगा।

☆☆☆